

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक**  
पीठासीन अधिकारी-

कैलाश चन्द्र शर्मा

मिसल नम्बर  
57/2018/प्रा.पत्र/2018

तारीख दायरा  
15.10.2018

आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
14.03.2019

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह बी.सी.डब्ल्यू इन्चार्ज मैसर्स मैत्री महिला डेयरी एण्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड चुंगी नाका दूनी जिला टोंक निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक
- 2-श्रीमति मीरा देवी जाट पुत्री रामप्रसाद जाट इन्चार्ज/प्रबंधक मैसर्स मैत्री महिला डेयरी एण्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड चुंगी नाका के पास दूनी जिला टोंक निवासी रामपुरा तहसील दूनी जिला टोंक
- 3-मैसर्स मैत्री महिला डेयरी एण्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड चुंगी नाका दूनी जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011  
उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित

**:—निर्णय—:**

दिनांक 14.03.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.07.2018 को समय 1.42 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैत्री महिला डेयरी एण्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड चुंगी नाका दूनी जिला टोंक पर पहुंचा। बी.सी.डब्ल्यू इन्चार्ज की हैसियत से मैसर्स मैत्री महिला डेयरी एण्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड चुंगी नाका दूनी जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का बी.सी.डब्ल्यू इन्चार्ज होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में मिश्रित दूध (Mixed Milk Loose) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री राजेन्द्र सिंह को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राजेन्द्र सिंह एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में मिश्रित दूध (Mixed Milk Loose) लगभग 250 लीटर रखा हुआ था से 2 लीटर दूध को वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री राजेन्द्र सिंह को रू0 80/-अक्षरे अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा मिश्रित दूध (Mixed Milk Loose) 2 लीटर के बराबर के चार भाग प्रत्येक भाग 500-500 ग्राम के तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग-अलग चार साफ व सूखी कांच की शिशियों में अच्छी तरह एयरटाइट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-1915 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1915 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक 740



(9)

ओ. राजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जास्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं० 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/2159 दिनांक 14.08.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल०एस०/381/एवट/2018/384 दिनांक 30.07.2018 अनुसार राजेन्द्र सिंह से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मिश्रित दूध (Mixed Milk Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2 (ii) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का मिश्रित दूध (Mixed Milk Loose) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थीया मीरा देवी जाट ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मिश्रित दूध (Mixed Milk Loose) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मिश्रित दूध (Mixed Milk Loose) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी राजेन्द्र सिंह को सुना गया। उसे भविष्य में तय मानको के मुताबिक ही खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थीया मीरा देवी जाट के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीया श्रीमति मीरा देवी जाट पुत्री रामप्रसाद जाट इन्जार्च/प्रबंधक मैसर्स मैत्री महिला डेयरी एण्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड चुंगी नाका के पास दूनी जिला टोंक निवासी रामपुरा तहसील दूनी जिला टोंक पर शास्ती 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.03.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)  
न्यायालय अतिरिक्त जिला टोंक  
अतिरिक्त जिला टोंक